भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-37
उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

आईआईएम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन

37. श्री नारायण तातू राणे:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में नामांकित सामान्य, अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के छात्रों की संख्या कितनी है और इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि आईआईएम विगत तीन वर्षों से सैद्धांतिक रूप से सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन कर रहे हैं, आईआईएम में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की संख्या बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आरक्षण नीति के खराब कार्यान्वयन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश पाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(**क**): वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान, कुल 65,978 छात्रों ने आईआईएम में प्रवेश लिया। इनमें से 31,122 सामान्य वर्ग**,** 17,184 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)**,** 9,721 अनुसूचित जाति (एससी) और 4,140 अनुसूचित जनजाति (एसटी) से थे।

(ख) और (ग): वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान, आईआईएम में कुल 27,165 छात्रों को प्रवेश दिया गया। इनमें से 3,960 और 1,685 छात्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से थे। आईआईएम केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 का अनुपालन करते हैं।

(घ) और (ङ): आईआईएम में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों का इन छात्रवृत्तियों की मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ उठाते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने सभी आईआईएम सहित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को जमानत-मुक्त और गारंटी-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। भारत सरकार की कुछ छात्रवृत्ति योजनाएँ जिनका लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित आईआईएम के छात्र मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार उठा सकते हैं:

- एसटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना,
- एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा (शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति), के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
- अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति,
- एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना,
- एससी छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति,
- एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना,
- एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना,
- एआईसीटीई स्वानाथ छात्रवृत्ति योजना,
- कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना।

*****